न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 19/2022
दायर दिनांक : 06/04/2022
निर्णय दिनांक : 27/11/2025

उनवान

1 बद्रीलाल पिता नारायण नाई निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
2 भैरूलाल पिता नारायण नाई निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 भंवरलाल पिता नारायण नाई निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
2 तहसीलदार भूपालसागर
3 विक्रम सिंह पिता किशन झाला निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री सुरेश बापना, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मीशंकर, व्यास अधिवक्ता,अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिक्री होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। पटवार हल्का ताणा तहसील भूपालसागर में आ0न0 1584 1585 2392 2393 2394 कुल किता 5 रकबा 0.55 है0 स्थित है जिसमें प्रत्येक खातेदार का 1/5 हिस्सा है खाते में संयुक्त दर्ज है विभाजन नही हुआ है आ0न0 1587 जिसमें भी पांच खातेदार है प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी का विभाजन कराए बिना अपने हिस्से को बेच दिया प्रतिवादी ने अपने हिस्से की आराजी का दो बार विक्रय किया। दिनांक 02.02.2022 को आ0न0 1584 व 1585 में विक्रय किया किंतु अप्रार्थी दस के पक्ष में इंतकाल नही खुला। आराजी खाते में संयुक्त दर्ज है बिना विभाजन कराए अप्रार्थी संख्या 3 हमारी आराजी में प्रवेश न करें न विशेष आराजी पर कब्जा करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 3 को पाबंद किया जावे व अप्रार्थी संख्या 2 जो लैंड लोर्ड है अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में इंतकाल न खोलें। अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 01.04.22 को आराजी का विभाजन कराने के लिए कहा तो इंकार हो गया जिससे बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक प्रार्थनापत्र दिनांक 01.04.2022 से एवं उसके बाद निरंतर पैदा हो रहा है वादी खातेदार काश्तकार है। मौजा ताणा की आ0न0 1584 1585 2392 2393 2394 1587 का हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे प्रत्येक आराजी का विभाजन तथा कब्जे अनुसार विभाजन किए जाने का डिक्री होने तक अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में बिना विभाजन किए इंतकाल न खोले अप्रार्थी संख्या 2 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में इंतकाल न खोले अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की और से वकील श्री लक्ष्मीशंकर जाट एवं अप्रार्थी संख्या 3 की और से वकील श्री एन.के. दाधीच ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किये, वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बंद किया गया। पैरोकार सरकार ने वादवर्णित तथ्यों से राजपक्ष प्रभावित नहीं होना अवगत कराया।

वकील प्रार्थी एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:53 IST
Reason: SelfAttested